

## CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

(Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)  
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar  
Delhi - 110032

No. C-22017/01/2014-Coord./Admin./1108

Date : 21.08.2017


### CIRCULAR

**Sub: Providing medical treatment to retired employees of CPCB and their dependant family members in the empanelled hospitals/diagnostic centres of CPCB on payment basis as per CGHS rates/CSMA Rules without any financial burden on CPCB - reg.**

All CPCB retired officials/employees are hereby informed that the Central Board in its 177<sup>th</sup> Board Meeting vide Agenda Item No. 3.5 has accorded approval for providing medical treatment to all retired officials/employees of CPCB and their dependant family members in the empanelled hospitals/diagnostic centres of CPCB on payment basis as per CGHS rates/CSMA Rules without any financial burden on CPCB. The CPCB will provide medical cards to all retired officials/employees of CPCB for taking medical treatment from the empanelled hospitals/diagnostic centres. The entire expenditure for such treatment has to be borne by the retired employee or their dependent family members and CPCB will not bear any expenditure incurred towards treatment. The scheme is to help retired CPCB employee to get the medical facilities as per CGHS Rates/CSMA Rules.

In view of the above, all retired CPCB officials/employees who are interested to take the benefit of medical treatment from empanelled hospitals/diagnostic centres of CPCB on payment basis as per CGHS rates/CSMA Rules, may apply for issuing medical card on a prescribed format which may be downloaded from the CPCB website : [www.cpcb.nic.in/csma.php](http://www.cpcb.nic.in/csma.php) within 30 days from the issue of this circular.

This is being issued with the approval of Competent Authority, Central Pollution Control Board.

  
(Ashok Kashyap) 21/08/17

Administrative Officer (Coord.)

Copy for information to :

1. All retired CPCB officials/employees.
2. All the Incharges of Regional Directorate, Bangalore/ Bhopal/Lucknow/Kolkata/ Shillong/Vadodara/Project Office Agra.
3. PS to CCB
4. PS to MS
5. ACO-II
6. AO (P)
7. All Notice Board at Head Office, Delhi.



**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर  
दिल्ली -110032

सं.सी-2201701/01/2014- समन्वयन/प्रशा./291

दिनांक: 22.08.2017

परिपत्र

**विषय:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना किसी वित्तीय भार को वहन किए, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एम्पैनलड अस्पतालों/डायग्नोस्टिक (diagnostic) केन्द्रों में सी.जी.एच.एस. दरों/सी.एस.एम.ए. नियमों के अनुसार स्वयं भुगतान कर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के संबंध में।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय बोर्ड की 177 वीं बैठक की कार्यसूची मद सं. 3.5 के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किए, केन्द्रीय बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय बोर्ड के एम्पैनलड अस्पतालों/डायग्नोस्टिक (diagnostic) केन्द्रों से सी.जी.एच.एस. दरों/सी.एस.एम.ए. नियमों के अनुसार भुगतान कर चिकित्सकीय उपचार करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने सभी सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एम्पैनलड अस्पतालों/डायग्नोस्टिक (diagnostic) केन्द्रों में चिकित्सा उपचार लेने हेतु मेडिकल कार्ड उपलब्ध करायेगा। चिकित्सा उपचार का पूर्ण व्यय सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी भी उपचार पर किये गये व्यय को वहन नहीं करेगा। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. उपचार दरों/सी.एस.एम.ए. नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने में सहायक है।

उपरोक्त के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एम्पैनलड अस्पतालों/डायग्नोस्टिक (diagnostic) केन्द्रों में सी.जी.सी.एस. दरों/सी.एस.एम.ए. नियमों के अनुसार भुगतान कर चिकित्सा उपचार का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर मेडिकल कार्ड जारी करने हेतु आवेदन भेजना होगा। मेडिकल कार्ड का निर्धारित प्रोफार्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट: [www.cpcb.nic.in/csma.php](http://www.cpcb.nic.in/csma.php) से डाउनलोड किया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अशोक कश्यप)

प्रशासनिक अधिकारी (समन्वयन)

वितरण :-

1. केन्द्रीय बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
2. प्रभारी, आंचलिक निदेशालय- लखनऊ, बेंगलूर, भोपाल, कोलकाता, शिलांग, वडोदरा, परियोजना कार्यालय आगरा
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव
4. सदस्य सचिव के निजी सचिव
5. प्रभारी वित्त एवं लेखा प्रभाग-II
6. प्रशासन अधिकारी (का.)
7. केन्द्रीय बोर्ड के सभी सूचनापट्ट

## सीपीसीबी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लाभार्थी का विवरण

**BENEFICIARY DETAILS OF CPCB RETIRED EMPLOYEE**

1. नाम/Name.....
2. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम/Designation at the time of retirement.....
3. वेतन बैंड और पे स्केल/वेतन मैट्रिक्स में स्तर/Pay Band & Pay Scale/Level in the Pay Matrix....  
.....
4. वेतन बैंड में मूल वेतन/Basic Pay in Pay Band(₹.....+G.P ₹.....
5. वर्तमान पता/Present Address.....  
.....
6. मोबाइल नंबर/घर का दूरभाष नंबर/Mobile No/Landline No.....

परिवार की फोटो(लाभार्थी व आश्रितों की फोटो)			
Family Photo (Beneficiary & Dependents)			

## परिवार/आश्रित लाभार्थी का विवरण

**DETAILS OF FAMILY DEPENDENT BENEFICIARIES**

(केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा रिकार्ड में यथा परिभाषित)

(As Defined in C.P.C.B. Service Record)

क्रम सं Sl.No	नाम Name	जन्म तिथि/आयु DOB/Age	कार्ड धारक से संबंध Relationship with Card Holder
1.			
2.			
3.			
4.			

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना/विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही और सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूचनाओं में से कोई सूचना/विवरण गलत या झूठा पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

I hereby certified that the information provided by me is correct to the best of my knowledge and belief. If any information given by me at above is found false, necessary disciplinary action may be taken against me as per rule.

लाभार्थी के हस्ताक्षर  
Signature of the Beneficiary